

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 133/2026

Kedar Prasad Khuteta Son of Kaluram, Resident of Village Madhorajpura, Tehsil Phagi, District Jaipur (Raj).

----Accused/Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Varun Singh Rajawat Son of Bhawani Singh Rajput, Aged About 50 Years, Resident of Rajputon Ka Mohalla, Bhedoula, Sawai Madhopur (Raj).

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rajveer Singh Gurjar, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

24/02/2026

1. याची-अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 607/2021, पुलिस थाना- शिवदासपुरा, जिला- जयपुर शहर (दक्षिण), अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या-2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या-01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।
3. विद्वान् अधिवक्ता याची-अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची-अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 607/2021 झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवायी गई है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से मामला

सिविल प्रकृति का होना प्रमाणित होता है, किन्तु अनुसंधान अधिकारी उसे उक्त प्रकरण में बलपूर्वक गिरफ्तार करने पर आमादा है, याची-अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, तब तक याची-अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।
5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।
6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची-अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **10.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **607/2021** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची-अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।
8. प्रकरण **तीन सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J